–चोहत्तर–

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 संख्याः—क0नि0—5—4567 / 11—2005—500(117) / 2003 लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर, 2005 अधिसूचना आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 ख के अनुच्छेद 40 के अधीन शासनादेश संख्या 1201 / 15-8-94 / 3009(5) / 94 दिनांक 21 सितम्बर, 1994, संख्या 1242 / 15 _8_95 / 3009(5) / 94 दिनांक 31 मई, 95, संख्या 2785 / 15_8_95 / 3009(5) / 94 दिनांक 24 जनवरी, 1996, संख्या 2299 / 15-8-97 / 3007(177) / 96 दिनांक 01 जनवरी, 1998, संख्या 1930 / 15-8-98 / 3070 / 98 दिनांक 28 दिसम्बर, 1998, संख्या 511 / 15-8-2002 / 3007(53) / 2001 दिनांक 04 मार्च, 2002 और संख्या 1479/15-8-2002/3007(6)/2001 दिनांक 17 अगस्त, 2002 पर जारी किये गये शिक्षा विभाग के आदेशों के अधीन स्वीकृत शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पक्ष में निष्पादित किये गये. स्ववित्त पोषित योजना के अधीन किसी विकास खण्ड. जिसमें कोई कन्या माध्यमिक विद्यालय न हो. या उस विकास खण्ड के अन्य न्याय पंचायत क्षेत्र जिसमें कोई कन्या माध्यमिक विद्यालय न हो, में कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संखय 21 सन् 1860) के अधीन रिजस्ट्रीकृत निजी सोसाइटियों की भूमि और / या भवन पर 15 वर्षों तक के लिए बीस लाख रुपये तक के अनुदान पर निष्पादित बिना कब्जा के बन्धक के लिखत पर रुपया एक सौ से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से माफ करते हैं।

> आज्ञा से, ह0अस्पष्ट (अतुल चतुर्वेदी) प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-क0नि0-5-4567(1) / ग्यारह-2005-500(117) / 2003 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशस से प्रेषित कि वे इस दिनांक 26 अक्टूबर, 2005 के असाधारण गजट के भाग—4 के खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को और 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से, ह०अस्पष्ट

UTTAR PRADESH SHASAN KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the followint English translation of the Government notification no. K.N.5-4567/11/2005-500(117)/2003 dated October 26, 2005 for general information.

No. K.N.5-4567/11-2005-500(117)/2003 Lucknow, Dated October 26, 2005

Notification Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit from the date of publication of this notification in th Gazette, the stamp duty chargeable on instrument of mortgage without possession for fifteen years of land and/of building of private societies registered under the Societied Registration Act, 1869 (Act no. 21 of 1860) executed for a grant amounting to rupees twenty lakhs for the establishment of Kanya Madhyamik Vidyalaya in a Block having no Kanya Madhyamik Vidhyalaya or having a Kanya Madhyamik Vidyalaya in the other Nyaya Panchayat Circle of that Block under self-finance scheme sanctioned under the orders of the Education Department issued at no. 1201/15-8-94/3009(5)/94 dated September 21, 1994, no. 1242/15-8-95/3009(5)/94 dated May 31, 1995, no. 2785/15-8-95/3009(5)/94 dated January 24, 1996, no. 97/3007(177)/196 dated January 1, 1998, no. 1930/15-8-98/3070/98 dated December 28, 1998, no. 511/15-8-2002/3007(53)/2001 dated March 4, 2002, and no. 1479/15-8-2002/3007(6)/2001 dated August 17, 2002 under Article 40 of the Schedule 1-B of the said Act exceeding rupees one hundred executed in favour of the Governor of Uttar Pradesh through an offecer of the Department of not below the rank of Deputy Secretary, Government of Uttar Pradesh.

> By order, Sd/-Illegible (Atul Chaturvedi) Pramukh Sachiv.